rily for research and postgraduate teaching. Any digression of their attention to the under-graduate aspect of medical education would defeat their basic objective.

4. As demanded in the Memoranda, possibilities of arranging seats for eligible students of Delhi in medical colleges in the neighbouring States were explored. Besides arranging 50 seats for them at Meerut medical college on the basis of a bilateral arrangement between the Government of India and the Government of Uttar Pradesh, these efforts generally did not yield and further results.

5. To the suggestion of the parents and the students that another medical college be opened around Delhi this year, they have been informed that it is not possible to open yet another medical college in or around Delhi because its seat, population ratio is 1:16,500 which is nearly three times more advantageous than the national ratio of 1: 45,000. Moreover, one medical college was opened in Delhi only last year even though it was not originally ear-marked for this Union Territory in the Fourth Plan distribution of medical colleges.

6. At present there are 292 seats exclusively reserved for Delhi University students at the Medical Colleges in Delhi and at Meerut. Besides there are 188 other seats at the four medical institutions in Delhi which are filled up either by open competition or by candidates of Scheduled Castes/Tribes. Delhi students are entitled to complete for these seats and try their chance. Moreover, they can also seek admission to some medical colleges outside Delhi where some seats are filled on the basis or open competition. Delhi is thus already more than well-served in the matter of undergraduate medical educational facilities.

7. The number of admissions to the pre-medical course of Delhi University has been increasing steadily during the last three year. Correspondingly the number of first divisioners has risen from 340 in 1970 to 465 in 1971 to 580 in 1972, *i. e.* an annual increase of 125 and 115 during the two sessions. At this rate, a medical college will have to be opened in Delhi every year to absorb the additional first divisioners. Obviously, that is neither possible nor desirable in the broader national interest.

Central Assistance for Drought conditions in Bihar

2857. SHRI RAM SHEKHAR PRASAD SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Centre has decided to help the drought-affected State of Bihar ;

(b) if so, what is the total demand made by them ; and

(c) how much Centre is willing to give ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (c). At the request of the State Government, a Central team visited Bihar recently to assess the drought situation and to recommend ceilings of expenditure on drought relief measures for the purpose of central financial assistance. The total estimated requirements of the State Government are Rs. 38.86 crores. The team's recommendations are expected shortly, and central financial assistance will be given in the light of the recommendations.

हाजीपुर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण

2858. श्री रामावतार शास्त्री : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि हाजीपुर में गंगा नदी पर बनने वाले पुल के निर्माण का सम्पूर्ण व्यय सरकार वहन करने को तैयार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख). यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ प्रेस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है, परन्तु अभी तक इसकी बिहार सरकार से कोई पुष्टि नहीं हुई है। सही वस्तुस्थिति यह है कि फिलहाल भारत सरकार की वचनबद्धता चौथी योजना काल में पुलों पर 50 प्रतिशत खर्च वहन करने हेतु राज्य सरकार को एक गैर-योजना ऋण देने तक ही है बशर्ते कि वह ऋण 4.5 करोड़ रुपये से अधिक न हो। शेष सम्पूर्ण राशि का राज्य सरकार को अपने साधनों से वहन करना है।

दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की मांग

2859. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने विश्वविद्यालय अधिकारियों और सरकार को अपना कोई मांग-पत्र पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से मांग-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। सरकार को भी ऐसा मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के मेडीकल कालेजों में सीटों का घटाया जाना

2860. श्री रामावतार शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने मेडीकल कालेजों में सीटों की संख्या में कमी कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के इस निर्णय से छात्रों एवं उनके अभिभावकों में घोर क्षोभ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). दिल्ली में तीन मेडीकल कालेज मौलाना आजाद मेडीकल कालेज, लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज और यूनिवर्सिटी मेडीकल कालेज है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध हैं। इन तीन कालेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता क्रमशः 180, 130 और 100 है। यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज गत वर्ष खोला गया था और तब उसमें प्रति वर्ष 100 छात्रों को दाखिल करने की व्यवस्था थी परन्तु परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गईं थीं कि गत वर्ष 100 की जगह 125 छात्र भर्ती करने पड़े, शिक्षा का आवश्यक स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से 25 के इस अन्तर को ठीक करने के लिये इस वर्ष 75 छात्रों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए था ताकि निरन्तर इन दो वर्षों में छात्रों की कुल संख्या 200 बनी रहे। इसके प्रतिकूल इस वर्ष वस्तुतः 100 छात्रों को भर्ती किया गया है जिससे दो वर्षों की कुल छात्र संख्या 225 हो गई है, अर्थात् यह प्रतिवर्ष की निर्धारित 100